उपस्थित :-

1. श्री अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता वादी

2. एकपक्षीय- —प्रतिवादी संख्या 01 से 10

3. पेशकार सरकार —अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या 11

:: निर्णय ::

दिनांक :— 09.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1485 रकबा 0.7335 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 2841/1485 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 28/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए. जिसका निर्णय दिनांक 18 अठारह मार्च 2025 दो हजार पच्चीस को हुआ. जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होने पर आराजी नम्बर 1485 मे से 0.0890 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा 0.2238 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 09 नो द्वारा व 0.0980 हैक्टयर पर रास्ता व आराजी नम्बर 2841/1485 मे से 0.0400 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा कब्जा कर लिया. जिससे दिनांक 12 बारह मई 2025 दो हजार पच्चीस को उक्त आराजीयात पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी. जिसमे आराजी नम्बर 1485 मे से 0.0890 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का 0.2238 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 09 नो का व 0.0980 हैक्टयर पर रास्ता व आराजी नम्बर 2841/1485 मे से 0.0400 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 का अवैध कब्जा कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित वादी की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 10 दस जुलाई 2025 दो हजार पच्चीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोडकर. उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना . प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेंगे तथा वादी प्रतिवादीगण का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण द्वारा सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1485 मे से 0.0890 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा 0.2238 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 09 नो द्वारा व 0.0980 हैक्टयर पर रास्ता व आराजी नम्बर 2841/1485 मे से 0.0400 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुन वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया, लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 ने वादी की सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 1485 मे से 0.0890 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा 0.2238 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 09 नो द्वारा व 0.0980 हैक्टयर पर रास्ता व आराजी नम्बर 2841/1485 मे से 0.0400 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 144/2025 राजस्व वाद

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह चुण्डावत जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री नारायण लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नन्द लाल पुत्र श्री सोहन लाल लुहार आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. विनोद पुत्र श्री बालूराम ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. बदाम पत्नी श्री सोहन लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. लोकेश कुमार पुत्र श्री बालूराम ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. पवन कुमार पुत्र श्री बालूराम ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. गंगाधर पुत्र श्री गोरधन लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. घनश्याम पुत्र श्री राधेश्याम ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

9 नरेश पुत्र श्री राधेश्याम ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

10 भैरू लाल पुत्र श्री फूलचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– चिलेश्वर तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादी की ओर से श्री अशोक कुमार लखारा . एडवोकेट और प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 09.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 ने वादी की सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 1485 मे से 0.0890 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा 0.2238 हेक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 09 नो द्वारा व 0.0980 हैक्टयर पर रास्ता व आराजी नम्बर 2841 / 1485 मे से 0.0400 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह डिक्री आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

Scanned with OKEN Scanner